न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी श्री पुनीत कुमार गेलड़ा, आर0ए0एस0

प्रकरण संख्या – 50/2023

उनवान

सूरजकरण दत्तक पुत्र छोगा जाट निवासी दौलतपुरा तहसील शाहपुरा

– प्रार्थी

बनाम

1– उगमा पिता कजोड़ जाट निवासी दौलतपुरा तहसील शाहपुरा
2– उगती पत्नी हीरा जाट निवासी दौलतपुरा तहसील शाहपुरा
3– भैरू पिता कजोड़ जाट निवासी दौलतपुरा तहसील शाहपुरा
4–5 संजू, सुरेश पिता हीरा जाट निवासी दौलतपुरा तहसील शाहपुरा
6– उछबी पत्नी लादू जाट निवासी दौलतपुरा तहसील शाहपुरा
7–12 गोपाल, धन्ना, माधु, रामस्वरूप, शम्भू, सुरजकरण पिता गीला जाट निवासी दौलतपुरा तहसील शाहपुरा
13– सीता पुत्री लादू जाट निवासी दौलतपुरा तहसील शाहपुरा
14– अलोल पत्नी उगमा जाट निवासी दौलतपुरा तहसील शाहपुरा
15– गीता पुत्री भागीरथ जाट निवासी दौलतपुरा तहसील शाहपुरा
16– छगन पिता हरनाथ जाट निवासी दौलतपुरा तहसील शाहपुरा
17– दिनेश पिता हरि जाट निवासी दौलतपुरा तहसील शाहपुरा
18– नोसी पत्नी सोजी जाट निवासी दौलतपुरा तहसील शाहपुरा
19– पानी पुत्री भागीरथ जाट निवासी दौलतपुरा तहसील शाहपुरा
20– महावीर पुत्र हरनाथ जाट निवासी दौलतपुरा तहसील शाहपुरा
21– रामघगणी पत्नी हरि जाट निवासी दौलतपुरा तहसील शाहपुरा
22– रामजस पुत्र सुरजमल जाट निवासी दौलतपुरा तहसील शाहपुरा
23– लीला पुत्री हरनाथ जाट निवासी दौलतपुरा तहसील शाहपुरा
24– सोनिया पुत्री हरनाथ जाट निवासी दौलतपुरा तहसील शाहपुरा
25– राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदा शाहपुरा जिला भीलवाड़ा

– विपक्षीगण

उपस्थिति :– श्री अक्षयराज रेबारी
अधिवक्ता प्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट, 1956

–:: निर्णय ::–

दिनांक– 06.06.2023

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत विरूद्ध विपक्षीगण के प्रस्तुत किया गया, जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है – ग्राम **दौलतपुरा पटवार हल्का दौलतपुरा** तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा में स्थित **आराजी नम्बर 1017/1848 रकबा 0.1000 है0, 1018/1818 रकबा 0.3200 है0, 1021 रकबा 0.2000 है0, 1022 रकबा 0.1200 है0** कुल किता **4** रकबा **0. 7400** हैक्टेयर का प्रार्थी **खातेदार काश्तकार** है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पड़ौसी है। प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य आराजी के सीमाचिन्ह नही होने से आये दिन सीमा सम्बन्धी विवाद उत्पन्न होता रहता है। अतः पत्थरगढ़ी करवाई जावें।

प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर **विपक्षीगण** को जरिये सम्मन तलब किया गया। **विपक्षीगण संख्या 1, 2, 4 लगायत 19, 21 लगायत 25** बावजूद सूचना उपस्थित नही होने से उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गयी तथा **विपक्षीगण सं0 3, 20,** के विरूद्ध अभिभाषक प्रार्थी के कोई कार्यवाही नहीं चाहने से उनके विरूद्ध कार्यवाही ड्रोप की जाकर बहस अभिभाषक प्रार्थी सुनी गई। हमने पत्रावली का एवं प्रस्तुत खाते की नकल जमाबन्दी **ग्राम दौलतपुरा पटवार हल्का दौलतपुरा संवत 2076 से 2079** तक का अवलोकन किया। उपरोक्त वर्णित आराजीयात् **प्रार्थी के खातेदारी में** दर्ज होकर अपनी आराजीयात की पत्थरगढ़ी कराना चाहता है। अतः **प्रार्थी** द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा **दौलतपुरा** में स्थित प्रार्थी की उपरोक्त **खातेदारी** की आराजीयात् किता **4 रकबा 0.7400 हैक्टेयर** की पुख्ता पत्थरगढ़ी पक्षकारान् की मौजूदगी में अगर मौके पर अन्य कोई विवाद न हो तो व कोई प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन न हो तो कब्जे में हस्तक्षेप नही करते हुये पत्थरगढ़ी किये जाने हेतु तहसीलदार शाहपुरा को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। पत्थरगढ़ी हेतु कमिश्नर **फीस 500/– रूपये** कायम किये जाते है, जो प्रार्थी से तहसीलदार शाहपुरा मौके पर प्राप्त करें। पत्थरगढ़ी मौका पर्चा पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम से हो। बाद तफसील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 06.06.2023 को सरे ईजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा(भीलवाड़ा)राज.

(पुनीत कुमार गेलड़ा)
उपखण्ड अधिकारी
एवं सहायक कलक्टर
शाहपुरा जिला भीलवाड़ा

प्रतिलिपि :– तहसीलदार शाहपुरा के पास भेजकर लेख है कि मुताबिक आदेश पक्षकारान् की मौजूदगी में नियमानुसार पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट शीघ्र भिजावें।

उपखण्ड अधिकारी
एवं सहायक कलक्टर
शाहपुरा(भीलवाड़ा)राज

उपखण्ड अधिकारी
एवं सहायक कलक्टर
शाहपुरा जिला भीलवाड़ा